1– तेलंगाना में एक फार्म हाउस में तीन नेता गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार का उन पर आरोप है कि तीनों नेता भाजपा के हैं और टीआरएस के तीन विधायकों को खरीदने के लिए 15 करोड़ के साथ पकड़े गए। भाजपा का कहना है कि हमारा उनसे कोई संबंध नहीं है बल्कि सरकार ने ही जानबूझकर दो गुटों में बैठकर यह नाटक किया है। सच्चाई क्या है, यह तो वह लोग ही जाने, लेकिन आम जनता तो इतना जानती है कि सभी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके पास से 15 करोड़ रूपए मिले। छत्तीसगढ़ में भी एक छापे के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपये मिला जिसमें राजनीतिक नेताओं का और सरकारी अफसरों का मिलाजुला पैसा था। बंगाल में भी कई सौ करोड़ रुपये मिला जो सरकारी अफसरों और नेताओं ने मिलकर अवैध तरीके से इकट्ठा किया था। दिल्ली में भी आज टीवी में दिखाया गया कि दिल्ली के नेता आपस में दो गुटों में बंटकर किस तरह सड़कों पर लेट रहे हैं, किस तरह नाटक कर रहे हैं और कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दोनों गुटों में कौन भ्रष्ट है और इस भ्रष्टाचार में इन दोनों के मददगार किसने अफसर हैं, हमें इस बात की सच्चाई से कोई मतलब नहीं। हमारा तो मतलब इतना ही है कि राजनीति और नौकरशाही मिलकर सारे देश को लूट रहे हैं और बाजार को भी अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। यदि स्वतंत्र बाजार व्यवस्था की मांग की जाती है तो यह सभी चोर चाहे वह नेता हो या नौकरशाह, एकजुट होकर मीडिया के माध्यम से खुले बाजार का विरोध करने लग जाते हैं। मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि खुले बाजार की तुलना में सारी आर्थिक शक्ति इस भ्रष्ट लोगों के हाथ में देने का क्या औचित्य है?

मैं तो यह चाहता हूँ कि सरकार के हाथ से सारी अर्थव्यवस्था को हटाकर खुले बाजार के हवाले कर दिए जाएं। हम रोज ही देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, करोड़ों नही, अरबों नही, खरबों में हो रहा है और नेता एवं अफसर मिलकर सारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं और ऊपर से खुले बाजार का विरोध भी कर रहे हैं।

2– भारत में बड़े–बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान हुए हैं। दुनियाँ अनुसंधान के लिए भारत का लोहा मानती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उच्च शिक्षित है, दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेता है। उन्होंने एक नया रिसर्च किया है कि इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है क्योंकि उसकी करेंसी पर गणेश जी का चित्र है। इस चित्र का इतना महत्व है कि यदि भारतीय रुपए पर भी गणेश जी का चित्र अंकित कर दिया जाए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। मुझे तो इन दोनों बातों में किसी तरह का कोई संबंध नजर नहीं आता क्योंकि मैं तो एक साधारण विचारक हूँ, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई नेता नहीं अथवा कोई उच्च शिक्षित भी नहीं। इस संबंध में मैंने कोई रिसर्च भी नहीं किया है। इसलिए मैं यह दावा नहीं कर सकता कि अरविंद केजरीवाल ने जो दावा किया है वह महत्वहीन है। लेकिन दुनियाँ में वैज्ञानिकों को इस रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहिए कि इंडोनेशिया की करेंसी गणेश जी की मूर्ति लगी होने के कारण बहुत मजबूत है। मैं धर्म प्रेमियों से और गणेश भक्तों से तो इस तरह की बातें सुनते आया हूँ। लेकिन पहली बार मुझे इतने बड़े वैज्ञानिक रिसर्च का पता चला। मैं चाहूंगा कि दुनियाँ के वैज्ञानिक अरविंद जी के इस शोध कार्य को अवश्य आगे बढ़ायें।

3– भारत सरकार ने कल कहा कि कश्मीर के संबंध में पंडित नेहरू ने पांच गंभीर गलतियां की। इन गलतियों के कारण कश्मीर समस्या भारत के खिलाफ उलझती चली गई। अब कश्मीर की समस्याओं को वर्तमान सरकार लगातार ठीक कर रही हैं। मैंने सरकार के बयान पर विचार किया। मैंने तो यह पाया है कि पंडित नेहरू की नीयत खराब थी, इसलिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जानबूझकर गलत कार्य किया था। आप उनके पूरे कार्यकाल में कोई एक भी ऐसा कार्य नहीं बता सकते जो पंडित नेहरू ने ठीक नीयत से किया हो। पंडित नेहरू ने गांधी को धोखा दिया, हिंदुओं को धोखा दिया, पूरे देश को धोखे में रख दिया और अपने व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ के लिए जीवन भर तिकड़म करते रहे। उन्होंने तानाशाह बनने की पूरी–पूरी कोशिश की। उन्होंने इसके लिए साम्यवाद से समझौता किया, मुसलमानों से समझौता किया और हिंदुओं को लगातार दबाने की कोशिश की। गांधी के हर विचार को पूरी तरह उन्होंने उलट दिया था और यह सब कुछ उन्होंने अपनी सत्ता और अपने परिवार के हित के लिए किया। बड़ी मुश्किल से नेहरू की गंदी अर्थ–नीति को मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव ने पलटा। इस तरह आर्थिक मामलों में देश बच गया।

विदेश नीति में अब नरेंद्र मोदी ने नेहरू की नीतियों को वापस पलट दिया और धीरे–धीरे हिंदुत्व के मामले में भी पूरे देश में नेहरू परिवार को एक तरह से मानो कूड़ेदान में ही फेंक दिया है। अब भारत में साम्यवाद, इस्लाम और नेहरू परिवार हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बना कर फिर दुबारा नहीं रख सकेंगे। इसलिए यह ढंके–छुपे बोलने का समय नहीं है। यह तो खुलकर बोलने का समय है। जितनी जल्दी सम्भव है यह देश नेहरू की छाया से बाहर निकल जाएगा, वह उतना ही अच्छा होगा। आज भी कुछ मुट्ठी भर लोग उस परिवार के प्रति कृतज्ञता का भाव भले ही व्यक्त करते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि अब पूरा भारत इस संबंध में वास्तविकता को समझने लगा है।

4– अंडमान निकोबार के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कुछ महिला कर्मचारियों को नौकरी के बदले में पैसा ना लेकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। ऐसी 20 महिलाओं को नौकरी दी गई थी। दुर्भाग्यवष इन सबके बीच एक महिला को नौकरी नहीं मिल सकी थी क्योंकि उस अधिकारी का वहाँ से ट्रांसफर हो गया। उस महिला ने इसकी शिकायत कर दी। यह मामला भ्रष्टाचार का तो है, व्यभिचार का भी है, लेकिन किसी भी तरीके से महिला–उत्पीड़न का नहीं है।

मैं नहीं समझता कि जब दोनों के बीच में सहमति से शारीरिक सम्बंध हुआ तो इसमें महिला अत्याचार कहाँ से बीच में आ गया। वह अधिकारी इन महिलाओं से पैसा लेता और नौकरी देता तब तो भ्रष्टाचार होता। वह अधिकारी इन महिलाओं को पैसा देता और संबंध बनाता, तब वह व्यभिचार होता, लेकिन अगर उसने नौकरी दी और बदले में शारीरिक सौदेबाजी की तो

इसमें कौन–सा अपराध हो गया। उच्च चरित्रवान लोगों को तो हर पुरुष अत्याचारी दिखता है और कुछ चरित्रवान लोग अनावश्यक कानून बना–बना कर समाज पर थोप रहे हैं, जिन कानूनों का एक–दो प्रतिशत लोग भी पालन नहीं कर पाते हैं।

इस संबंध में मेरा यह सुझाव है कि महिला और पुरुष के बीच सब प्रकार के भेदभाव कानून से हटा दिए जाएं। चाहे महिला हो या पुरुष, कानून की नजर में सभी सिर्फ एक व्यक्ति हो, सब के मौलिक अधिकार समान हो और किसी के भी कोई विशेष अधिकार ना हो। कुछ चरित्रहीन महिलाओं के दबाव में आकर महिला सशक्तिकरण का नारा लगाना गलत है। महिल–पुरुष के बीच में इतना भेदभाव कदापि उचित नहीं है। इसीलिए देश में समान नागरिक संहिता लागू कर देनी चाहिए, जिसके तहत महिला और पुरुष में कोई भेदभाव ना हो और सब के अधिकार समान हो।

5– ओमप्रकाश त्रेहान जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। यद्यपि वो सावरकरवादी हैं लेकिन उनको लेकर जो भी लिखते हैं, वह तर्कसंगत तरीके से लिखते हैं। उन्होंने मुझसे यह बात जाननी चाही कि जब विभाजन की बात मान ली गई तो गांधीजी ने अनशन क्यों नहीं किया? गांधीजी ने अपनी जान की बाजी क्यों नहीं लगाई? मैंने उनसे पूछा कि सरदार पटेल ने अनशन क्यों नहीं शुरू कर दिया? सरदार पटेल ने अगर अपने जान की बाजी लगा दी होती तो आज बात ही कुछ और होती!

सब जानते हैं कि सरदार पटेल ने कांग्रेस पार्टी में नेहरू के साथ मिलकर भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया था तो फिर यही प्रश्न सरदार पटेल से क्यों नहीं पूछा जाता है? मैं जानता हूँ कि भारत का हर कांग्रेसी गांधी की हत्या से प्रसन्न हुआ क्योंकि गांधी नेहरू और कांग्रेसियों की आंखों में कांटा बनकर चुभ रहे थे। अंबेडकर की आंखों में भी चुभते थे और सावरकर की आंखों में भी चुभते थे। मैं तो समझता हूँ कि एक मूर्ख ने अंध देशभक्ति में आकर गांधी के शरीर की हत्या कर दी। इससे सारे राजनेताओं का काम आसान हो गया। काफी दिन हो गये लेकिन अब तक ओम प्रकाश जी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया है कि सरदार पटेल ने विभाजन के मामले में क्या भूमिका निभाई और क्यों?

6– मैं अपने सावरकरवादी मित्रों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को दो भाग में बांट करके किसी एक को नीचे गिराने की कोशिश की तो इसका परिणाम बहुत खराब होगा। मैं नहीं चाहता कि गांधी, सुभाष बाबू, सावरकर अथवा किसी भी अन्य स्वतंत्रता सेनानी को ऊपर या नीचे किया जाए। लेकिन सब को एक साथ गाली दे–देकर आप लोगों का मन बहुत बढ़ गया है। इसलिए यदि आप अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की पोल खोलना चाहते हैं तो गांधी के खिलाफ अपना अभियान जारी रखिए और हम सावरकर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या बाकी अन्य स्वतंत्रता संग्रामियों सब की पोल खोलना जारी रखेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं गांधीवादी नहीं हूँ और ना ही मैं नेहरू का चमचा हूँ। मैं गांधी को अच्छी तरह जानता भी हूँ और मानता भी हूँ इसके वाबजूद मैं वीर सावरकर का सम्मान करता हूँ।

7– मेरे विचार से गांधी की हत्या पूरी तरह राजनीतिक थी। किसी भी रूप में उनका ना तो पाकिस्तान से कोई संबंध था, ना हिंदू या मुसलमान से और ना ही भारत के विभाजन से। सारी दुनियाँ जानती है कि स्वतंत्रता के समय किसी भी राजनेता ने गांधी के स्वशासन, स्वराज्य अथवा ग्राम स्वराज्य जैसे किसी शब्द को पसंद नहीं किया। सभी नेता तो राष्ट्रीय स्वराज्य को ही अपना अंतिम लक्ष्य मान रहे थे। इस लक्ष्य प्राप्ति की जल्दबाजी में सभी नेताओं ने मिलकर बिना गांधी से पूछे ही भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया। नेताओं को यह पक्की उम्मीद थी कि गांधी भारत विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे और अनशन करके मर जाएंगे, इस तरह उनसे पिंड छूट जाएगा। गांधी को अन्य किसी पर नहीं लेकिन पटेल पर पूरा भरोसा था। लेकिन जब सरदार पटेल ने ही विभाजन स्वीकार कर लिया तब गांधी ने भी यह उचित समझा कि विभाजन के अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। गांधी ने विभाजन संबंधी अपने विचार बदल दिए, इससे राजनेताओं को बड़ी निराशा हुई।

जब भारत स्वतंत्र हो गया और राजनेताओं के बीच राजनीतिक सत्ता की छीना–झपटी शुरू हुई तो सब नेताओं को सबसे बड़ी बाधा गांधी ही दिखाई दिए। सबको यह दिखा कि गांधी का जीवित रहना उनके लिए अच्छी बात नहीं है। सबकी प्रत्यक्ष या मौन सहमति देखकर एक मूर्ख ने देशभक्ति के जोश में आकर गांधी की हत्या कर दी। हत्यारे को यह पता ही नहीं चला कि वह राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बन रहा है। गांधी के शरीर से तीन या चार गोलियां निकली यह भी अभी तक साफ नहीं हुआ। अभी तक यह भी साफ नहीं हुआ है कि चौथी गोली कब और किसने चलाई? निश्चित रूप से गोडसे ने तीन गोलियां मारी थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू थे और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभभाई पटेल। योजनापूर्वक चौथी गोली का राज दफन कर दिया गया। गोडसे के भाषणों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। गोडसे को जल्दीबाजी में फांसी के फंदे पर लटका कर सारा राज ही दफन कर दिया गया। एक मूर्ख ने गांधी के शरीर की हत्या कर दी जबकि गांधी के विचारों की हत्या कराने वाले धूर्त राजनेता अब तक विभिन्न प्रकार के नाटकबाजी कर रहे हैं। गांधी हत्या के पीछे का मुख्य कारण सिर्फ गांधी का लोक स्वराज्य, ग्राम स्वराज्य संबंधी विचारधारा ही था और अब आगे पता नहीं, यह विचार कब और कैसे आगे बढ़ेगा?

वैसे नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को यह बात समझ में आ गई है कि केवल गांधी विचार दुनियाँ की समस्याओं के समाधान का आधार बन सकता है। जबसे इन लोगों ने गांधी की प्रशंसा शुरू की है, तब से ही सभी कम्युनिस्ट, मुसलमान और नेहरू परिवार, सावरकरवादी आदि सब मिलकर मोदी और भागवत जी के पीछे लग गए हैं। यह अलग बात है कि भारत की जनता राजनेताओं के कुचक्र से मुक्त होना चाहती है और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि सबसे पहले इस सच्चाई को सावरकरवादी ही समझेंगे, जो–जो भी नहीं समझेंगे, वह इतिहास के कूड़ेदान में डाल दिये जाएंगे।

8– मैंने कल गांधी हत्या पर एक पोस्ट लिखी थी जिसका सार था कि गांधी हत्या पूरी तरह राजनीतिक हत्या थी। मेरे कई मित्रों ने मुझे इस स्पष्ट लेखन के लिए बधाई भी दी लेकिन अधिकांश मित्रों ने यह सवाल किया कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी आज तक किसी भी व्यक्ति ने यह प्रश्न क्यों नहीं उठाया? यह बात सब जानते थे कि सरदार पटेल ने कभी विभाजन का विरोध नहीं किया बल्कि सर्वसम्मति से विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ। जैसा कि विभाजन का सारा दोष गांधी पर डाला गया जबकि किसी भी गांधीवादी ने यहाँ तक कि जयप्रकाश और विनोबा ने भी कभी गांधी के बचाव में सावरकरवादियों के समक्ष यह सवाल खड़ा नहीं किया।

मेरे मित्रों ने मेरे लिखे को सच तो माना लेकिन यह प्रश्न जरूर आज भी खास है कि आज तक किसी गांधीवादी ने यह प्रश्न क्यों नहीं उठाया? यहां तक कि पिछले 10 वर्षों से जब भी मैं यह प्रश्न पूछता था तो सभी गांधीवादी मित्र चुप हो जाते थे। मेरे प्रश्न का समर्थन तो करते थे लेकिन कभी दोहराते नहीं थे। ऐसा लगता था कि गांधीवादियों के मुंह में कोई ताला लगा दिया गया हो, जो मेरे प्रश्न करने के बाद भी चुप रहते थे या उन्हें चुप रहने के लिए कोई गहरी बात विवश कर देता था। इस परिस्थिति पर मैंने भी गंभीर विचार किया है। गांधी हत्या के पूर्व तक देश वामपंथी और दक्षिणपंथी के बीच पूरी तरह बंट चुका था। गांधी का सत्य और अहिंसा की नीति गांधी के जीवित रहते तक ही मान्य थी लेकिन वह कभी किसी का संस्कार नहीं बन सकी। दोनों ही समूह सत्तालोलुप थे, हिंसा के समर्थक थे और इसलिए सत्ता संघर्ष में उत्तर पथ के मार्गदर्शक गांधी की हत्या कर दी गई तत्पष्चात् सभी गांधीवादी नेहरू के साथ कम्युनिस्ट जैसे हो गए। मानो सबके मुंह पर जैसे ताला लग गया। मैंने अपने परम मित्र ठाकुर दास जी बंग से जब यह प्रश्न किया तो उनसे बात करने के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हुई। मालूम पड़ा कि दुनियाँ में कम्युनिस्ट सबसे अधिक चालाक होते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं और परिस्थिति अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं। जबकि ठीक इसके विपरीत मुसलमान और सावरकरवादी पूरी तरह नासमझ होते हैं, यह सब बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, भेड़ चाल चलते हैं और उनकी भेंट अकल से बहुत कम होती है। यदि स्वतंत्रता सेनानियों पर इस तरह का प्रश्न उठाएंगे तो सच्चाई सामने नहीं आएगी बल्कि कम्युनिस्टों का उद्देश्य पूरा होता रहेगा। सावरकरवादी बढ़–चढ़कर गांधी को गाली देंगे और हम गांधीवादी आगे आकर सावरकरवादियों की पोल खोलते रहेंगे। बीच में सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की भी छवि धूमिल होगी और इसका दूरगामी परिणाम होगा। यह बात पहले भी मेरी समझ में आती थी इसीलिए मैं जीवन भर यह प्रयत्न करता रहा कि संघ के समझदार लोग और गांधीवादियों में से समझदार लोग एक साथ बैठकर विचार करने की आदत डालें। जब भी हम लोगों ने इस तरह की कोशिश की तो कम्युनिस्ट का चोला ओढ़े गांधीवादियों का उग्र आक्रोश हम लोगों को झेलना पड़ा। लेकिन इस प्रयास में हम धीरे–धीरे सफल होंगे। नरेंद्र मोदी ने इस सच्चाई को सबसे पहले समझा। पिछले तीन–चार वर्षो से मोहन भागवत ने भी इस सच्चाई को समझा और मेरी इससे हिम्मत बढ़ी कि अब नई परिस्थितियों में सावरकरवादियों को भी सच्चाई दिखा दी जाए। अब कम्युनिस्ट, मुसलमान और कांग्रेस का गठजोड़ कमजोर हो गया है तो दूसरी ओर सावरकरवादी भी लगातार कमजोर हो रहे हैं। अब जिस तरह मोदी और भागवत की जोड़ी गांधी विचार को आगे बढ़ा रही है ऐसे वातावरण में यह उपयुक्त समय है कि दक्षिणपंथी और वामपंथी के मुकाबले नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के साथ जुड़कर देश को उत्तर पथ का मार्ग दिखाया जाए। इसी हिम्मत और विश्वास के आधार पर मैंने कल यह पोस्ट लिखी कि गांधी हत्या पूरी तरह सत्ता संघर्ष से जुड़ी थी, किसी प्रकार का कोई धार्मिक दृष्टिकोण नहीं था। मेरे साम्यवादी मित्रों को छोड़कर अन्य अनेक साथियों ने मुझे इस पोस्ट के लिए बधाई दी है।

9– पंजाब में सिद्धू मूसे वाला की हत्या के बाद उनके पिता ने धमकी दी है कि यदि मेरे पुत्र को न्याय नहीं मिला तो मैं भारत छोड़ कर चला जाऊंगा। मुझे इस प्रकार की धमकी से बहुत कष्ट हुआ। सिद्धू मूसे वाला के पिता को भारत से बाहर कहीं न्याय मिलता दिख रहा है, यह एक बहुत ही विचित्र बात है। यदि उन्हें भारत छोड़कर जाना ही है तो किसी ने उन्हें रोका भी नहीं है। लेकिन इस प्रकार की खुलेआम धमकी देना बहुत ही खराब बात है। आप सब जानते हैं कि पंजाब में खूंखार अपराधियों का एक गिरोह बना हुआ था, मूसे वाला भी उस गिरोह से अलग एक नया ही गिरोह चला रहा था। स्पष्ट है कि दोनों गुटों के बीच खूनी टकराव हुआ और एक बड़े ग्रुप ने योजना बनाकर मूसे वाला की हत्या कर दी। वैसे तो मूसे वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था बल्कि उसका भी एक छोटा–सा एक गुट था, जो खुद उसने ही बना रखा था। पंजाब सरकार पूरी ईमानदारी से हत्यारों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। कई हत्यारे जेल चले गए तो कुछ हत्यारों का एनकाउंटर भी हुआ। पंजाब सरकार अब तक किसी भी रूप में कोई कमजोर कार्यवाही नहीं कर रही है।

सिद्धू मूसे वाला के पिता ने कभी भी अपने बेटे को ठीक मार्ग दिखाया हो, ऐसी कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। लेकिन मूसे वाला के पिता ने इस प्रकार की धमकी देकर बहुत ही गलत किया है। मेरा निवेदन है कि मूसे वाला के पिता को अपनी धमकी वापस लेनी चाहिए। भारत से बाहर जाकर सिद्धू मूसे वाला की हत्या का उसके पिता को न्याय मिलेगा, इसकी तो उम्मीद करना ही व्यर्थ है।

10– पिछले कुछ वर्षों से यह साफ दिख रहा है कि अब भारत बदल रहा है। अबतक भारत में दो गुट बने हुए थे– एक सावरकरवादियों का था, जो गांधी और संघ को कभी एक साथ नहीं देखना चाहते थे और दूसरा गुट कांग्रेस, कम्युनिस्ट और मुसलमानों को मिलाकर बना था, जो हिंदू और गांधी को एक साथ नहीं देखना चाहते थे। लेकिन अब जमाना पूरी तरह बदल गया है। अब नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के नेतृत्व में देश गांधी मार्ग पर चल पड़ा है। अब हिंसा का समाज में कोई स्थान नहीं रहा है। अब चाहे सावरकरवादी हिंसा करें या कम्युनिस्ट और मुसलमान करें, जो भी कानून तोड़ेगा अथवा जो भी हिंसा को प्रोत्साहित करेगा वह अवष्य ही दंडित होगा। कानून का पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। यह बात आप पूरी तरह समझ

लीजिए कि समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। अहिंसक समाज के पक्ष में सरकार पूरी तरह मजबूती के साथ खड़ी हुई है और कानून अपना काम बिना रूकावट के हमेशा करता रहेगा। इसलिए मैंने यह आप सबको बताना उचित समझा। अब नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब जब से गांधी विचार और मोदी के बीच एक मार्ग बना है, एक पुल बना है तब सामाजिक उपद्रवी तत्वों को रात में नींद नहीं आ रही है। हिंसा का समर्थन करने वाले लोग तो और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं। मैं यह बात आप को साफ कर देना चाहता हूँ कि अब भारत में हिंसा करने या हिंसा का समर्थन करने वाले, कानून तोड़ने वाले दंडित होंगे। क्योंकि मोदी, मोहन भागवत और गांधी इन सबके बीच एक नया मार्ग बन पड़ा है।

10– हमारे सामने दुनियाँ की चार बड़ी सभ्यताएं प्रतियोगिता में खड़ी हैं– इस्लाम, साम्यवाद, ईसाई और हिन्दु। हिन्दुओं को इन तीनों से प्रतिस्पर्धा भी करनी है और तीनों से आगे भी निकलना है। स्वाभाविक रूप से इनमें साम्यवाद और इस्लाम हिंसक प्रवृत्ति के हैं और तानाशाही प्रवृत्ति वाले हैं जबकि ईसाईयत लोकतंत्र को मानती है और हम भारतवासी भी लोकतंत्र को मानते हैं। इसलिए हम भारतीयों को, खासकर हिंदुओं को बहुत सोच–समझ कर आगे की रणनीति बनाने की जरूरत है। साम्यवादी और इस्लामिक संस्कृति यह चाहते हैं कि गांधी समर्थक और गांधी विरोधी आपस में टकराते रहें लेकिन बड़ी कठिनाई से हम लोगों ने मिलकर विरोधी संस्कृति की चाल को काटकर अब एक नया मार्ग चुना है। हम हिंदुत्व की दिशा में आगे बढ़ेंगे, हम अहिंसा के मार्ग से आगे बढ़ेंगे और हम वैचारिक धरातल पर दुनियाँ को पछाड़ देंगे।

मेरा आप सब से विनम्र निवेदन है कि अब आप गांधी की प्रशंसा और गांधी की आलोचना करने से दूर हो जाइए। अब तो हमें नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की ही प्रशंसा करनी है। हमें इन दोनों के मार्ग पर चलना है इसलिए आइए नया भारत बनाने में सहयोग दीजिए। हम इस्लामिक और साम्यवादी संस्कृति को पीछे छोड़ दें, इसकी पूरी तैयारी रखें। हिंसा के बल पर नहीं, बल्कि विचारों की ताकत पर दुनियाँ से आगे निकल जाएं, ऐसी हमारी कोषिष जारी रहनी चाहिये। इतिहास हमेशा समाज के मार्गदर्शन के लिए होता है, अनुकरण के लिए नहीं।

11– हिंदुओं में शंकराचार्य को बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। उनके कथन को गंभीर, विद्तापूर्ण और अनुकरणीय माना जाता है। शंकराचार्य जी ने छत्तीसगढ़ में यह बयान दिया है कि यीशु मसीह पहले वैष्णव हिंदू थे और भारत में 10 वर्ष रहे थे। शंकराचार्य जी के इस कथन और लेखन का अवश्य ही कोई मजबूत आधार होगा। मैंने भी 1955 में विष्णु पुराण में यीशु मसीह का वर्णन और विवरण कुछ इसी तरह का पढ़ा था। वह घटना चाहे सत्य हो या ना हो, लेकिन हम भारतीयों को इस सच को स्वीकार कर लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी हम मानते हैं कि ईसाई, यहूदी और मुसलमान प्राचीन समय से पहले हिंदू रहे हैं एवं हिंदुओं की परंपरा और पूजा–पद्धति को शुरू से ही मानते आए हैं। मैंने मोहम्मद साहब के विषय में भी कुछ ऐसा ही पढ़ा है। इन ऐतिहासिक संदर्भों को देखते हुए भारत में जो भी ईसाई या मुसलमान "जियो और जीने दो", "वसुधैव कुटुंबकम" एवं समाज की सर्वोच्चता को आधार मानकर शांति और भाईचारे के साथ रहना चाहते हों, उन्हें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ईसाई दुनियाँ में समस्याएं पैदा नहीं करते। भारत में भी वे संख्या विस्तार के लिए उस प्रकार की छीना–झपटी या छल–प्रपंच नहीं करते जैसे कि इस्लाम करता है। ऐसे वातावरण में हमें मुसलमानों से तो अधिक सावधान रहना चाहिए। लेकिन ईसाई लोभ–लालच देकर या समझा–बुझाकर अथवा सेवा के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराते रहते हैं।

बेहतर तो यही होगा कि हम शत्रु, विरोधी और प्रतिस्पर्धी की अलग–अलग पहचान शुरू करें। वैसे तो सारी दुनियाँ के लिए तो साम्यवाद शत्रु है लेकिन भारत के लिए इस्लामी कट्टरवाद हमारा प्रबल शत्रु है। हमें इस्लाम से सावधान रहने की जरूरत है। ईसाइयों को हम अपना विरोधी या प्रतिस्पर्धी मान सकते हैं। शंकराचार्य जी के लेखन और कथन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

11– दिल्ली की राजनीति में अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनमें बहुत कुछ सच्चाई दिखती है। आज तो हद हो गयी कि उनके जेल मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल से ही कमाई करने का आरोप लगा। बताया गया कि आम आदमी पार्टी को जेल से पाँच करोड़ रूपये दिलवाए गए जिसमें एक करोड़ रूपये खुद सत्येंद्र जैन ने लिया। यह कोई साधारण आरोप नहीं है क्योंकि सत्येंद्र जैन जेल में रहते हुए भी जेल मंत्री हैं। आरोप लगाने वाले ने यह बात प्रमाणसहित कही है कि सत्येंद्र जैन लंबे समय से उनसे मिलते रहे हैं और दिल्ली की जेलों में सुविधाएं देने के लिए उन्होंने इस प्रकार का पैसा लिया है। अरविंद केजरीवाल इस बात से इंकार नहीं कर सके उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि गुजरात चुनाव से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बात सामने आई है। लेकिन यह कहना पर्याप्त नहीं है क्योंकि आरोप लगाने वाले ने पहले ही चिट्ठी लिखकर के आरोप लगा दिए थे। उस समय तक गुजरात के मोरबी की घटना नहीं हुई थी।

मुख्य प्रश्न यह है कि अरविंद केजरीवाल भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं। मैं अभी तक यही समझता था कि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से तो ईमानदार हैं लेकिन जिस तरह का दिल्ली में यह सब नाटक हो रहा है उसको देखकर क्या लगता है कि "कोई न बचा बिन दांत निपोरे"। पूरे भारत में राजनीति पूरी तरह भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों का हाल आप देख ही रहे हैं जिसमें राज्य का मुखिया ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है। पूरे देश भर में बिहार को छोड़कर आप कहीं भी किसी प्रकार की ईमानदारी की कल्पना नहीं कर सकते। यह एक दुःखद स्थिति है। अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह के आरोप लगे और उन्होंने जो उत्तर दिया वह उनकी ईमानदारी पर गंभीर संदेह पैदा करता है।

12– भारतीय न्यायपालिका ने एक नया इतिहास बनाया जब जघन्य हत्या के घोषित अपराधियों को सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहकर निर्दोष घोषित कर दिया कि निचली अदालतों ने प्रति परीक्षण का अवसर नहीं दिया। जिन लोगों को उच्च न्यायालय ने फांसी घोषित की थी उन्हें सिर्फ तकनीकी आधार पर निर्दोष घोषित कर देना न्याय का खुला अपमान है। लेकिन न्यायपालिका किसी कानून से बंधी होती है, स्वतंत्र नहीं। कानून विधायिका बनाती है और न्यायालय उसके अनुसार चलने के लिए बाध्य है। भारत की विधायिका भी विश्व व्यवस्था से बंधी हुई है, स्वतंत्र नहीं और विश्व व्यवस्था भी उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बंधी हुई है। जिसके अनुसार भले ही कितने भी अपराधी छूट जाएं लेकिन किसी निर्दोष के दंडित होने की संभावना शून्य होनी चाहिए। स्वाभाविक है कि इस प्रक्रिया में 10 प्रतिषत अपराधी दंडित हो पाएंगे और 90 प्रतिषत अपराधी निर्दोष होकर छूट जाएंगे। इन 90 प्रतिषत का निर्दोष सिद्ध होना ही वास्तव में अन्याय है। इस संबंध में मैंने अपनी किताबों और पत्र पत्रिकाओं में 40 वर्ष पहले ही लिखा था और उसका समाधान भी बताया था। मैं न्यायपालिका को पूरी स्वतंत्रता देने का पक्षधर नहीं हूँ। न्याय की परिभाषा अवश्य बदली जानी चाहिए, जिसके अनुसार ना कोई निर्दोष दंडित हो और ना कोई अपराधी निर्दोष सिद्ध हो सके। ऐसी संभावना 1–2 प्रतिशत तो हो सकती है लेकिन इससे अधिक नहीं। हम भारतीयों ने पश्चिमी न्याय प्रणाली की आंख बंद करके नकल की जिसका यही परिणाम होना था।

जो व्यक्ति निचली अदालतों द्वारा अपराधी सिद्ध हो जाता है उसे उच्च न्यायालय में स्वयं को निर्दोष होने का दायित्व देना चाहिए। मैं यह तो नहीं कह सकता कि वर्तमान मुकदमे में गलत कौन है लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था को पश्चिम की गुलामी से मुक्त होकर अपनी नई व्यवस्था बनानी चाहिए। इस संबंध में आवश्यक यही है कि मेरे जैसे विचारकों की तुलना में पश्चिम के साधारण विद्वानों को अधिक महत्व न दिया जाए। हमें भारतीय विद्वानों के चिंतन पर भी विचार करना चाहिए।

13– मैंने बहुत सोच–समझकर एवं योजनापूर्वक अपने जीवन की शुरुआत की थी। मुझे बहुत उम्मीद थी कि दुनियाँ की प्रमुख समस्याओं के समाधान में मैं कुछ सहायक बन सकूंगा। अब उम्र और स्वास्थ्य के हिसाब से मुझे कुछ निराशा हुई है। मैं इस बात को समझ गया था कि वर्तमान राजनीति ही सभी समस्याओं की प्रमुख उत्पादक संस्था है। लंबे समय तक मुझे राहुल गांधी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल से उम्मीदें बनी रही। राहुल गांधी ने अपनी सामाजिक प्राथमिकताओं को बदलकर राजनैतिक कर लिया इस लिये अब राहुल गांधी दिन रात सावरकर के पीछे पड़े हैं जबकि सावरकर वर्तमान और राजनीतिक व्यवस्था में कहीं कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते। राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का निष्पक्ष मार्गदर्शन करना चाहिए, नेतृत्व नहीं। दूसरे नीतीश कुमार से मुझे बहुत उम्मीदें थी लेकिन परिस्थितियों ने नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया और उन्होंने हार मान ली। अन्त में बचे अरविंद केजरीवाल जिससे मुझे राजनीतिक प्रणाली में बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल वर्तमान गंदी राजनीति में अपना हित खोजने लग गये। नरेंद्र मोदी से 2012 तक मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मैं सिर्फ इतनी ही उम्मीद करता था कि नरेंद्र मोदी मुस्लिम सांप्रदायिकता को बराबरी पर ला सकेंगे लेकिन जहां राहुल गांधी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल ने राजनैतिक व्यवस्था के मामले में मुझे निराश किया है वहीं नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने मिलकर मुझे उम्मीद से ज्यादा राजनीतिक मामलों में संतुष्ट किया है। मैं राजनैतिक मामलों में पूरी तरह आंख बंद करके नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का समर्थन कर रहा हूँ। लेकिन अब तक नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से सुशासन की जो उम्मीद जगी है, स्वशासन के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं।

स्वशासन के संबंध में अभी पूरे भारत में कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है इसलिए अंत में निराश होकर मैंने सामूहिक यज्ञ को सभी समस्याओं के समाधान की शुरुआत बताया है। मेरे लिए अब दो ही मार्ग शेष बचे हैं जो एक–दूसरे के पूरक हैं इसमें पहला मार्ग सामूहिक यज्ञ का है। मैं अपनी पूरी ताकत से सामूहिक यज्ञ प्रणाली को आदर्श दिशा में विकसित करने की कोशिश करूंगा जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के तातापानी से आगामी वर्ष 2023 से शुरू होगी। फरवरी माह के तीसरे सप्ताह में यह सामूहिक यज्ञ होगा। मेरा दूसरा कार्य यह होगा कि मैं अपनी शेष सारी शक्ति उस व्यक्ति या समूह की मदद में लगाऊं जो वर्तमान राजनैतिक प्रणाली के विरुद्ध लोक–स्वराज्य की प्रणाली को आगे ले जाने का नेतृत्व करेगा। इन दोनों के साथ–साथ में नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत की राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक नीतियों का पूरा समर्थन करता रहूंगा। मैं पूरा–पूरा प्रयास करूंगा कि भारत में नेहरू, अंबेडकर और सावरकर सरीखे लोगों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली कभी भी वापस ना आ सके। इसके लिये मैंने अपना मार्ग चुन लिया है।

14– मैंने विपक्षी दलों की तुलना करते हुए कल एक पोस्ट लिखी थी। उस पोस्ट को विस्तार देते हुए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में राजनीतिक व्यवस्था नीचे की ओर जा रही है। इसमें सुधार के लिए राहुल गांधी से मुझे अब वैसी उम्मीद नहीं रही क्योंकि वह अपनी मां के कहने पर सत्ता की लालच में आ गए और उन्होंने अपना नैसर्गिक मार्ग बदल लिया।

नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक भविष्य समाप्त होते दिखा और मजबूरी में उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया। थोड़ी–बहुत उम्मीद अरविंद केजरीवाल से बची थी लेकिन अरविंद केजरीवाल के विषय में यह दोनों ही बातें सही नहीं है। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन को इमानदारी का मसीहा घोषित कर दिया, वह सब बहुत पीड़ादायक है। अब स्पष्ट हो चुका है कि वर्तमान भारत में नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त अभी ऐसा कोई भी व्यक्ति राजनीति में दावा नहीं कर सकता। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को भगत सिंह कहकर भी उचित शब्द का प्रयोग नहीं किया। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी सत्ता–संघर्ष की ओर चल पड़े हैं। इसलिए अब इस संबंध में मुझे बहुत निराशा दिख रही है। वर्तमान

समय में अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी या भाजपा के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा सत्ता–संघर्ष को वह छोड़ें और व्यवस्था परिवर्तन का मार्ग पकड़ें, तभी कुछ बदलाव की उम्मीद बन सकती है।

15– श्रद्धा मर्डर केस की आजकल बहुत अधिक चर्चा हो रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कुछ अलग ही तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसे हिंदू मुसलमान की नजर से देखना पूरी तरह गलत है। यह तो सामान्य संबंधों का मामला है। इस संबंध में मैं कांग्रेस पार्टी और राजस्थान के मुख्यमंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि भारत में मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 15 प्रतिषत है। इस प्रकार के लव जिहाद और जघन्य हत्याकांड संबंधी कुल घटनाओं में लगभग 40 प्रतिषत मुसलमानों की भागीदारी क्यों है? क्या इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई लाभ है। श्रद्धा हत्याकांड एक जघन्य अपराध है, इस अपराध में कांग्रेस पार्टी को या मुसलमानों को किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह खड़ा होता है कि इस जघन्य हत्याकांड के लिए पुलिस को इतना अधिक सक्रिय होने और प्रमाण जुटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या हमारी न्यायिक प्रक्रिया में इतनी कमजोरी आ गई है कि हम ऐसे जघन्य हत्याकांड को सिद्ध करने में भी देश की इतनी शक्ति और धन का अपव्यय करें।

जिस व्यक्ति पर ऐसे जघन्य हत्याकांड करने का आरोप हो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार तो स्वतः निलंबित मान लेना चाहिए। हम पुलिस को व्यवस्था का अंग क्यों नहीं मानते हैं। जिस व्यक्ति पर आरोप है उसे ही न्यायालय अपने को निर्दोष प्रमाणित करने की जिम्मेदारी क्यों नहीं देता? इस प्रकार के जघन्य मामलों में इतनी नाटकबाजी करना कितना जनहित में है और कितना न्याय के पक्ष में? यह समझ में नहीं आ रहा है। महीनों से देश भर का मीडिया लगा हुआ है। जिस आदमी को तत्काल फांसी होनी चाहिए, उस मामले में इतनी सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत क्या है? मैं ऐसा नहीं कहता कि पुलिस बिना समुचित न्यायिक प्रक्रिया के उसे दंड दे दे या गोली मार दे। लेकिन न्याय के नाम पर इतना नाटकबाजी करना भी उचित नहीं है।

मेरा यह मत है कि कांग्रेस पार्टी और भारत के मुसलमानों को इस संबंध में गंभीरता से सोचना चाहिए। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में हम सबके मन में लगातार सांप्रदायिक संदेह पैदा हो रहा है। न्यायपालिका को भी अपनी प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत है। हम दुनियाँ की आंख बंद करके नकल करें, इसकी अपेक्षा क्या यह उचित नहीं होगा कि हम न्याय के मामले में दुनियाँ का मार्गदर्शन करें। इस संबंध में हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी।

16– पिछले सप्ताह मैंने एक लेख लिखा था जिसके अनुसार इस्लाम और भारत का विपक्ष सांप्रदायिकता के लिए बहुत अधिक उत्तरदाई माना गया। लेकिन इस विषय पर मैं बाद में कभी चर्चा करूंगा। भारत में अपराधियों के मन में कानून का भय समाप्त होता जा रहा है। लोग खुलकर अपराध भी कर रहे हैं और गैर–कानूनी कार्य भी कर रहे हैं। एक हमारा तंत्र है जो गैर–कानूनी कार्यों को रोकने में अधिक सक्रिय है और अपराध नियंत्रण में कम। यह हमारी चिंता का मुख्य विषय है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि हमारे तंत्र के दो महत्वपूर्ण विभाग न्यायपालिका और विधायिका आज तक अपराध और गैर–कानूनी का अंतर भी नहीं समझते हैं। मेरे कई बार ध्यान दिलाने के बाद भी तंत्र का यह दोनों विभाग इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करते। परिणाम यह हो रहा है कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं और पूरा समाज भ्रम में पड़कर गैर–कानूनी कार्यों को रोकने में सक्रिय हैं।

मैंने एक सैद्धांतिक पक्ष लिखा है कि किसी भी इकाई में कानूनों की मात्रा जितनी अधिक होती है, उस इकाई के अंतर्गत कार्य कर रहे लोगों की समझदारी उतनी ही अधिक घटती चली जाती है। आज भारत में दुनियाँ की नकल करते हुए शिक्षा का तो बहुत विस्तार किया जा रहा है लेकिन लोगों का ज्ञान घटता जा रहा है। या तो लोगों में शराफत बढ़ रही है जिसका अंतिम परिणाम होता है मूर्खता अथवा चालाकी बढ़ रही है जिसका परिणाम होता है ठगी और धूर्तता। समाज में समझदारी घटती जा रही है। आखिर इसका दोषी कौन?

मेरे विचार से तंत्र इस के लिये पूर्णतः जिम्मेदार है। न्यायपालिका और विधायिका दोनों ही इसके लिए समान रूप से उत्तरदाई हैं। क्योंकि यह दोनों ही दिन–प्रतिदिन कानून पर कानून तो बनाते जा रहे हैं, लेकिन स्वयं अपराध और गैरकानूनी कार्यो में अंतर नहीं कर पाते और ना समझ पाते हैं। तंत्र का काम अपराध नियंत्रण है और उसके लिए पर्याप्त कठोर कानून बनना चाहिए। तंत्र द्वारा अनावश्यक कानून बना–बना कर समाज को गुलाम बनाने की प्रक्रिया गलत है। वर्तमान समाज में जिस तरह नासमझी बढ़ रही है उसका दोषी कोई व्यक्ति नहीं, समाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ तंत्र है। इसलिए दुनियाँ से, विशेषकर भारत के तंत्र से जुड़े लोगों से तथा तंत्र के बाहर के विद्वानों से भी विनम्र निवेदन है कि वह अपराध और गैर–कानूनी का फर्क समझेंगे और अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देंगे।

वर्तमान में अगर ठीक से समीक्षा की जाए तो साफ दिखता है कि अपराधों की रोकथाम के लिए बनाए गए कानून बहुत कमजोर है और अनावश्यक कानूनों की मात्रा बहुत अधिक है, ऐसे कानून बहुत कठोर भी है। देशभर के विद्वानों से मेरा निवेदन है कि हम आप सब एक साथ मिल–बैठकर इस विषय पर गंभीर विचार मंथन करें। वर्तमान दुनियाँ की सभी समस्याओं के समाधान के लिए लोगों में समझदारी का विकास होना बहुत जरूरी है।

17– समाचार मिला है कि दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। दोनों ही पति–पत्नी और उनके बच्चे एक सैनिक परिवार से थे। लेकिन उसकी पत्नी ने अपनी इस स्थिति का फायदा उठाकर कुछ लोगों

से नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए ठग लिए। बाद में पीड़ित लोग जब काम ना होने पर पति से अपने पैसे वापस मांगने लगे तो परेशान होकर उक्त पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी।

मैं लंबे समय से यह बात लिखता रहा हूँ कि संयुक्त परिवार का पूरा आय–व्यय संयुक्त होना चाहिए। कोई भी कमाई या खर्च बिना एक–दूसरे की सहमति और जानकारी के होना ही नहीं चाहिए। यदि परिवार की व्यवस्था मेरे विचार से चलती होती तो संभवत ऐसा कोई भी विवाद परिवारों में नहीं होता। हम सब आंख बंद करके परिवार की परिभाषा बनाने में जो पश्चिम की नकल कर रहे हैं, वह पूरी तरह घातक है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी संपत्ति व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सब कुछ सबकी सहमति से बने परिवार का होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति समेत परिवार से अलग होने का या यों कहें कि अलग करने की भी पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए।

हर्ष विहार की घटना देश की कोई अकेली घटना नहीं है। परिवार में पति–पत्नी के मामूली झगड़े हिंसा के रूप में बदलते हुए हम सब नित्य प्रति देख सकते हैं। हम लोगों ने भारत में इतना रद्दी कानून को मान्यता दे रखा है कि पति–पत्नी को अलग–अलग होने के लिए भी कानून से अनुमति लेनी पड़ती है।

मैं अगर किसी समझौते का पालन नहीं करना चाहता तो मुझे कोई भी अन्य समझौता मेरी स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचा सकता। भले ही कानून मुझे समझौता तोड़ने के लिए अलग से दंडित कर सकता है। मेरे विचार से हमें अब परिवार की नई परिभाषा को मान्यता दिलाने पर गंभीरता से सोचना चाहिए।

18– ज्ञानयज्ञ परिवार द्वारा नए स्वरूप में ज्ञान यज्ञ का नया कार्यक्रम निश्चित किया गया है जिसके अंतर्गत आगामी वर्ष 2023 में बलरामपुर जिला के रामानुजगंज विकासखंड में तीन बड़े यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस कड़ी का पहला ज्ञानयज्ञ तातापानी में होगा और तातापानी महायज्ञ समिति ही इस यज्ञ का आयोजन व संचालन करेगी। ज्ञानयज्ञ परिवार इस यज्ञ के आयोजन में सहायता तथा मार्गदर्शन करेगा। लेकिन यज्ञ संचालन संबंधी अंतिम निर्णय महायज्ञ समिति की स्थानीय इकाई करेगी, जिसमें 43 गांव के लोग शामिल हैं। ज्ञान यज्ञ परिवार ने यज्ञ समिति को यह आश्वासन दिया है कि यदि यज्ञ के आयोजन में आय या दान से प्राप्त धन यज्ञ में होने वाले कुल खर्च से कम होता है तो उसकी भरपाई के लिए ज्ञान यज्ञ परिवार के सदस्य यज्ञ के बाद भी प्रति सदस्य 100 रूपये की मदद करेंगे। वैसे मेरा पूरा विश्वास है कि यज्ञ में धन की कोई कमी नहीं होगी। यज्ञ का पूरा खर्च दान से प्राप्त धन से किया जाएगा। किसी तरह का चंदा इकट्ठा नहीं होगा। अभी तक का अनुमानित खर्च करीब आठ लाख रूपये है। ज्ञानयज्ञ परिवार का सदस्यता अभियान आज से शुरू हो चुका है और श्री रणधीर सिंह सिरोही इस ज्ञान यज्ञ परिवार के प्रथम सदस्य के रूप में पंजीकृत हुए हैं। आज से देशभर में यह सदस्यता अभियान शुरू किया जा रहा है। आप लोग भी इसके सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता फॉर्म आपको आवश्यकता पड़ने पर हम पोस्ट से भी भेज सकते हैं। वैसे आप व्हाट्सएप के द्वारा भी अपना पूरा नाम व पता एवं मोबाइल नंबर देकर सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता की अन्य कोई भी शर्त या नियम कानून नहीं है। ज्ञानयज्ञ परिवार सामूहिक यज्ञ के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में ना तो संलग्न होगा और ना ही सहयोगियों से कोई अपेक्षा करेगा।

19– आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देशित किया है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में संसद को कोई नया कानून बनाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि न्यायपालिका को अपना कार्य छोड़कर यह सलाह देने की फुर्सत कैसे मिल गई। न्यायपालिका किसी भी तरह सर्वोच्च नहीं है बल्कि तंत्र का एक बराबर का हिस्सा है। न्यायालय से अपराधी लोग निर्दोष सिद्ध हो जा रहे हैं लेकिन इसकी चिंता न्यायपालिका को नहीं है। आज तक भारतीय न्यायपालिका ने कभी भी भारतीय न्याय–सिद्धांत की कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं समझी। वही घिसा–पिटा पश्चिम का पुराना न्याय–सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका आंख बंद करके अनुसरण कर रही है और उसी न्याय–सिद्धांत के आधार पर विधायिका को आदेशात्मक निर्देश दे रही है। यह परिस्थिति तो किसी भी तरह से उचित नहीं है।

यदि विधायिका गलत करेगी तो जनता पांच वर्षों के लिए विधायिका को पलट देगी। यदि विधायिका गलत करेगी तो जनता सड़कों पर उतर कर आंदोलन कर सकती है किंतु यदि न्यायपालिका गलत करेगी तो न्यायपालिका की मनमानी को रोकने का जनता के पास कौन–सा मार्ग शेष बचता है। न्यायपालिका में जज बनते ही हमारे न्यायपालिका के लोग अपने को तानाशाह क्यों समझने लगते हैं? लोकतंत्र में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का बराबर–बराबर की तालमेल और भागीदारी है और न्यायपालिका को सिर्फ किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के मामले में ही अंतिम रूप से निर्णय करने की परंपरा है और सर्वोच्चता भी है। लेकिन चुनाव आयुक्त किस तरह नियुक्त किया जाए, इसका संबंध कहीं से भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से नहीं है, क्योंकि चुनाव लड़ना या वोट देना व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं, किंतु संवैधानिक अधिकार है।

यदि हमारे न्यायाधीशों को भारतीय न्याय–परंपराओं का अच्छा ज्ञान नहीं है तो उन्हें यह ज्ञान सीखने की जरूरत है, घमंड करने की नहीं। मेरा न्यायपालिका से निवेदन है कि किसी अपराधी का निर्दोष सिद्ध हो जाना पूरी तरह अन्याय है जोकि प्रतिदिन हो रहा है और जिसकी चिंता हमारी न्यायपालिका को कतई नहीं है। मेरा निवेदन न्यायपालिका से है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी–अपनी सीमाओं को समझें।

20– भारत में विपक्षी दल यह बात लगातार प्रचारित–प्रसारित कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार तानाशाही की दिशा में बढ़ रही है। मैंने इस विषय पर गंभीरता से सोचा। यह बात सही है कि अव्यवस्था और अराजकता की रोकथाम के लिए भारत

सरकार अवश्य ही सशक्त कदम उठा रही है और मेरा मानना है कि किसी भी सरकार को मजबूत होना ही चाहिए अन्यथा समाज पर हमेशा अव्यवस्था और अराजकता का खतरा बना रहेगा। मेरा यह अनुभव है कि भारत में सन 1973 तक नेहरु खानदान की एकछत्र तानाशाही रही। बाद में थोड़ा–सा संतुलन बना भी लेकिन पुनः इंदिरा गांधी की तानाशाही आ गई और उसके बाद राजीव गांधी की तानाशाही देखने को मिली। वर्तमान में देष में न्यायिक तानाशाही चल रही है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारत धीरे–धीरे सुव्यवस्था की और बढ़ रहा है। तानाशाही का अर्थ होता है कि संविधान को तंत्र द्वारा गुलाम बना लेना। अब तक नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ना तो कोई न्यायपालिका पर आक्रमण हुआ है और ना ही संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है। हाँ, इतना जरूर है कि संविधान को थोड़ा–सा स्वतंत्र किया गया है जो आदर्श लोकतंत्र की एक निशानी है। वास्तव में तो नेहरु तानाशाह थे जिन्होंने समय–समय पर न्यायपालिका के अधिकार कम कर दिए थे। इंदिरा भी एक तानाशाह ही थीं जिन्होंने पूरे देश में आपातकाल लगाया। राजीव गांधी तानाशाह थे और उन्होंने संविधान में मनमाने संशोधन किए। शाहबानो प्रकरण, दल–बदल कानून इनकी तानाशाही का सबूत है। यह तानाशाह प्रवृत्ति के लोग मोदी को तानाशाह कैसे कह सकते हैं? जिन्होंने अब तक संविधान में कोई ऐसा संसोधन नहीं किया है, जिन्होंने न्यायपालिका पर अब तक कोई बड़ा आक्रमण नहीं किया है।

यह बात सही है कि राजनैतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी अबतक के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रुप में सामने आए हैं जो कि एक अलग तरह की बुराई है लेकिन कोई खानदानी तानाशाही नहीं। इसे हम भाजपा की बुराई नहीं कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी के अब तक के किसी कार्य से तानाशाही की संभावना नहीं दिख रही है और सच्चाई यह है कि अभी तक उनके पास ऐसी कोई संवैधानिक शक्ति भी नहीं आई है। जब संसद में दो–तिहाई से अधिक बहुमत प्राप्त होता है, तब तानाशाही की संभावना बनती है और ऐसी तानाशाही हम कई बार देख चुके हैं। लेकिन अभी तक नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ऐसा कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। अगर पिछले तानाशाह मजबूत प्रशासन को तानाशाही के रूप में प्रसारित कर रहे हैं तो माना जाएगा कि यह उनकी बुरी नीयत है। यही कारण है कि आज भारत में नरेंद्र मोदी का समर्थन दिन–प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि यह विश्वास लगातार मजबूत होता जा रहा है कि नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक तरीके से अराजकता और अव्यवस्था से देश को मुक्त रख सकते हैं।

21– पिछले कई सप्ताह से कुछ–कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायपालिका में वामपंथी ग्रुप मजबूत हो रहे हैं। पिछले दो–तीन वर्षों से लगातार वामपंथियों की ताकत घट रही थी और प्रशांत भूषण कमजोर पड़ रहे थे। लेकिन पिछले दो सप्ताह से फिर से कुछ बदलाव दिख रहा है। न्यायपालिका और विधायिका में टकराव होना अच्छी बात नहीं है लेकिन ऐसा लगता है यह टकराव होकर रहेगा। नरेंद्र मोदी इस टकराव को किस तरह टाल पाते हैं या क्या कोई नया तरीका खोजते हैं यह तो अभी पता नहीं है। लेकिन इतना निष्चित है कि भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका वामपंथ की तरफ फिर से लगातार झुक रही है। विधायिका और कार्यपालिका में वामपंथ की शक्ति शून्य हो गई थी इसलिए वामपंथ अब सारी ताकत न्यायपालिका पर ही लगा रहा है। आगे देखिए कि भविष्य में इस टकराव का क्या परिणाम होता है।